Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 6.886|
Vol. 17 Issue 9, Sep- 2022
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

विद्यालयों में शिक्षाअधिकार अधिनियमके क्रियान्वन मे आने वालीचुनौतियाँ

ANZAR AHMAD
Assistant professor, B.Ed
R R S COLLEGE OF EDUCATION AZAMPUR, BIJNOR

परिचय

भारत में, शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद**21**ए के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित है। यह अनुच्छेद **6**से **14** वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सरकार ने सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें **2009**में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना भी शामिलहैं।

2009में शिक्षा का अधिकार(RTE)कानून पारित हुआ और **2010** में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गई या कहें कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई थी कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का एक–चौथाईEWSयानी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये आरक्षित रखेंगे। **2017**में इस कानून में एक संशोधन कर **2019** तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था।

<u>शोध की आवश्यकता एंव महत्व</u>

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, **2009**में शिक्षा के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। इन विशेषताओं में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, वंचित समूहों के लिए सीटों का आरक्षण, प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता, स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना और नियमित मूल्यांकन के माध्यम से स्कूल की गुणवत्ता की निगरानी शामिल है। लेकिनशिक्षाअधिकार अधिनियमके क्रियान्वन मे कई तरह की चुनौतियाँसामने आ रही है जिनमे सुधार की आवश्यकता है।

शोध उद्देश्य

वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

शोध परिकल्पना

वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों में कोई सार्थक अंतर नहींहै।

शोध का परिसीमन

प्रस्तुत शोध बिजनौर जिले के विकास खंड आकू (नहटौर) वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालय तक सीमित रखा गया है।

शोध न्यादर्श

विकास खंड आकू (नहटौर) के समस्त विद्यालयो की जनसंख्या पर अध्ययन करना अत्यंत समय साध्य एवं खर्चीला कार्य था इसलिए विकासखंड आकू (नहटौर) के कुछ वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों का चयन यादृच्छिक न्याय दर्शन विधि से किया गया है शोधकर्ता ने विकास खंड आकू (नहटौर)के2 वित्तपोषितविद्यालयएवं 2 स्ववित्तपोषितविद्यालय जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंध थे का चयन किया।

विकास खण्ड आकू(नहटौर) के अन्तर्गत चयनितवित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालय तालिका

क्र0सं0	विद्यालय का नाम
1	एच0एम0आई0 इण्टर कॉलेज,नहटौर (वित्तपोषित)
2	बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज,नहटौर (स्ववित्तपोषित)
3	चाचा नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज,बालापुर ,अखेड़ा (वित्तपोषित)
4	रामसरन इण्टर कॉलेज,फुलसन्दा गंगदास (स्ववित्तपोषित)

प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वनिर्मितप्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

ऑकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।छात्रों से प्राप्त उत्तरित प्रश्नवालियों का निरीक्षण करके यह निश्चित कर लिया गया कि कोई प्रश्न अनुत्तिरत तो नही रह गया है निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि परीक्षण के क्रियान्वन में किसी प्रकार की त्रुटि नही पायी गयी।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां

प्रस्तुत शोध में दत्तो के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी प्रविधि में प्रतिशत का उपयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एंव व्याख्या

'' प्रश्नावली '' से प्राप्त अंक स्वयं में कुछ भी सार्थकता प्रकट नही करते है। आंकड़ों से निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया तथा परिणामों को निम्नवत् रूप से प्रस्तुत किया गया है

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 6.886|
Vol. 17 Issue 9, Sep- 2022
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तालिका 1

शिक्षा में गुणात्मकता प्राप्त करने सम्बन्धी चुनौतियां

क्रम संख्या	चुनौतियां	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1	उच्च प्राथमिक स्तर तक अनुत्तीर्ण ना क्या जाने से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च नहीं हो पाता है।	100.00%	100.00%
2	आयुके अनुसारप्रवेश देने से छात्रकक्षा के अधिगम स्तर तक नहीं पहुंच पाते है।	50.76%	70.50%
3	अभिभावक में शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी के अभाव से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।	90.00%	95.00%

तालिका 1से स्पष्ट है की वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयोंमेंउच्च माध्यमिक स्तर तक अनुत्तीर्ण न करने का प्रावधान एवं अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विषय में जानकारी की कमी, शिक्षा की गुणात्मकता मेंवृद्धि करने के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

तालिका 2

अकादमिक क्षेत्र संबंधी चुनौतियां

क्रम संख्या	चुनौतियां	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1	अनियमित उपस्थिति के कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावित होती है ।	100.00%	80.00%
2	शिक्षकों के अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रहने से अधिगम प्रभावित होता है।	100.00%	20.00%
3	शिक्षकों की कमी के कारण बालकों की कक्षा के अधिगम स्तर तक लाने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है ।	90.00%	70.00%

तालिका 2 स्पष्ट है वित्तपोषित विद्यालय के शत प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यार्थियों की अनियमित उपस्थिति शिक्षकों का अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रहना एवं शिक्षकों की कमी से सभी कारण चुनौतियों के रूप में सामने आ रही है जबकि स्ववित्तपोषित विद्यालयोंमें ऐसी स्थिति नहीं आ रही है।

तालिका 3

मानवीय संसाधन संबंधी चुनौतियां

क्रम संख्या	चुनौतियां	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1	छात्र–शिक्षक अनुपात ।	100.00%	शिक्षकों को कमी नहीं है ।
2	कार्यालय कर्मी की उपलब्धता ।	30.00%	100.00%
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपलब्धता ।	35.00%	100.00%

तालिका 3 से स्पष्ट है कि वित्तपोषित विद्यालयों में मानवीय संसाधनों की कमी भी शिक्षा स्तर को प्रभावित करती है जबकि स्ववित्तपोषित विद्यालयोंमें ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई देती है।

तालिका 4

भौतिक संसाधन संबंधी चुनौतियां

क्रम संख्या	चुनौतियां	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1	कक्षा–कक्षों का अभाव ।	60.00%	प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध ।
2	पुस्तकालय का अभाव ।	75.00%	55.00%
3	छात्र अनुपात में फर्नीचर की उपलब्धता नहीं है ।	50.00%	प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध ।

तालिका 4 के अनुसार भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में वित्तपोषित विद्यालयों में छात्र अनुपात में कक्षा कक्षों का प्रयास नहीं होना छात्र अनुपात में फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं होना और पुस्तकालय का अभाव भी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है जबकि स्ववित्तपोषित विद्यालयों की स्थिति ऐसी नहीं है।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 6.886|
Vol. 17 Issue 9, Sep- 2022
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तालिका 5
समायोजन संबंधी चुनौतियां

क्रम संख्या	चुनौतियां	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1	आयु के अनुसार प्रवेशित छात्र कक्षा में अन्य छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं।	78.00%	65.00%
2	25 प्रतिशत आरक्षण से प्रवेशित छात्र कक्षा में अन्य छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं।	प्रावधान नही	85.00%

तालिका 5 से स्पष्ट है वित्तपोषित विद्यालयों में आयु के अनुसार प्रवेशित अधिकांश छात्र अन्य छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाते जबकि स्ववित्तपोषित विद्यालयों में 25प्रतिशत आरक्षण सेप्रवेशित छात्र कक्षा में अन्य छात्रों से समायोजन नहीं कर पाते हैं।

तालिका 6
आ र्थक क्षेत्र संबंधी चुनौतियां

क्रम संख्या	चुनौतियां	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1	निर्माण कार्य हेतु समय पर धन प्राप्त नहीं होता है।	78.00%	35.00%
2	विद्यालय के अन्य कार्यों के लिए समय पर बजट प्राप्त नहीं होता है।	65.00%	30.00%

तालिका 6 से स्पष्ट है कि वित्त पोषित विद्यालय के संस्था प्रधान के अनुसार निर्माण कार्य एवं अन्य बजट की प्राप्ति नहीं होती है यह भी आर्थिक क्षेत्र संबंधी चुनौतियां है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009को लागू हुए कई वर्ष बाद भी उपयुक्त वर्णित कई चुनौतियां सामने आ रही है जिससे शिक्षा के वो उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे है जैसा कि इस अधिनियम के उद्देश्य एवं लक्ष्य में वर्णित किये गए है।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 6.886|
Vol. 17 Issue 9, Sep- 2022
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

- The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act, 2009).
- Challenges of Education–a policy perspective, Ministry of Education, Govt. of India, New Delhi, August 1985.
- Ministry of Human Resource Development, Department of Education, New Delhi, 1992.
- https://www.education.gov.in
- https://dsel.education.gov.in/rte